



936

समझा :- न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व पण्डि गवालियर कैप्प सागर  
-- एनिंगरानी। स्थान अश्वन्नराण २०१७/३१८५  
श्रीमति कुमुमरानी पति टीकाराम  
निवासी - ग्राम गढ़पहरा रैयतवारी तहसील सागर  
जिला सागर म०प्र० -- आवैदिका

॥ बनाम ॥

म०प्र० शासन

- (१) निर्ख्य सींग पिता चूरामन यादव (कैत)
- (२) बलराम पिता चूरामन यादव
- (३) रामदयाल पिता चूरामन यादव
- (४) सीताराम पिता चूरामन यादव
- (५) टीकाराम पिता चूरामन यादव
- (६) तिलकसींग पिता हरप्रसाद यादव
- (७) मिट्ठू पिता लक्ष्मी हरिजन
- (८) कोमलसींग पिता चूरामन यादव

सभी निवासी - ग्राम गढ़पहरा रैयतवारी तहसील वा जिला सागर म०प्र०

-- अनांशिक

ग्राम गढ़पहरा रैयतवारी

प्रस्तुत दिनांक

तहसील वा जिला सागर म०प्र०


राजस्व पुनरीकाण अंकांक :

पुनरीकाण अंतर्गत धारा ५० म०प्र० ८० रु० लंबिता १४४ -

पुनरीकाण का संदिकाप्त विवाह

उपरोक्त पुनरीकाण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला सागर म०प्र० के रा०प्र०क० : ४२-आ०६(अ) वर्ष १४-१५ ग्राम गढ़पहरा रैयतवारी तहसील वा जिला सागर म०प्र० के फटार श्रीमति कुमुमरानी वनाम म०प्र० शासन, निर्ख्य सींग वगैरह में पासित जादेश दिनांक ३१ प्र०वर्ष २०१७ के अवैध जादेश से परिवैदित होकर निम्नलिखित सत्यात्मक रूपं विविपक्ष तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के जादेश में हस्तांकित वा जाकर स्कूल वीन जादेश पासित किये जाने हेतु

163  
11/7/17




11/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3185

कुसुमरानी विरुद्ध शासन व निर्भय सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभावकों आदि के नाम
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर क्लेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 42/अ-6(अ)/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	  <p>(आर के चैन) सदस्य 07/03/19</p>